

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 319/VIII /19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में "एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मसियों के नियोजन" में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
एलोपैथिक फार्मसी		
1	अकुशल	12539
2	अर्द्धकुशल	13280
3	कुशल	14023
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	
	(क) श्रेणी-एक	15275
	(ख) श्रेणी-दो	14340
आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मसी		
1	अकुशल	12384
2	अर्द्धकुशल	13110
3	कुशल	13838
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	
	(क) श्रेणी-एक	15035
	(ख) श्रेणी-दो	14139

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/28 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल -

घपरासी, सफाई मजदूर, माली, हेल्पर, श्रमिक, सार्टर, सहायक लोहार, रिक्सा चालक या गाड़ीवान, पैकर, गेट कीपर, कुटाई और खरल करने वाला, खलासी, तौलने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल -

सहायक मशीन मैन, लोहार, सहायक प्रचारक, निर्माण सहायक, पैकर जो दवाओं के साथ पर्ची इत्यादि की पैकिंग भी करता है, फायरमैन, सीनियर मददगार, फ्लम्बर, सहायक इलेक्ट्रीशियन, चेकर, बडई, डिस्पेन्सर, प्रयोगशाला परिचर, पेन्टर, कम्पाउंडर, बाटल फिलर, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल:-

मशीन मैन, ड्राइवर, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन, एयर कन्डीशनर मैकेनिक, फिटर, प्रचारक (कन्वेसर), पैकर, सुपरवाइजर, जूनियर केमिस्ट, फार्मेसिस्ट, फोरमैन, शिपट इंचार्ज, सुरक्षा गार्ड हथियार

सहित और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी -

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

मुनीम, टाइमेकर, टंकक, सहायक स्टोर कीपर, वैद्य, हकीम, रोकड़िया, लेखालिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक-न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, विक्री प्रतिनिधि और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर०मी०नाक्षी सुन्दरम)

सचिव।

संख्या: 296 (1) / VIII-1 / 24-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियाँ शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- - /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 317/VIII/19-228(श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में 'सिनेमा उद्योग के नियोजन' में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	दो लाख या उससे अधिक आवादी वाले उत्तराखण्ड के नगरों में वयस्क कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)	उत्तराखण्ड के शेष भागों में देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अकुशल	12539	12391
2	अर्द्धकुशल	13280	13110
3	कुराल	14023	13838
4	अतिकुशल (ख)	14340	14139
5	अतिकुशल (क)	15275	15035
6	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	15275	15035
	(क) श्रेणी-एक		
	(ख) श्रेणी-दो		
		14340	14139

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और धालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 8 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छोटे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल:-

कार्यालय धपरासी, लाईनमैन, सफाई मजदूर, प्रचारक (पब्लिसिटी मैन), और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल-

लाइन मैन एवं द्वारपाल (गेटमैन), सहायक विद्युतकार या वायरमैन, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल-

वातानुकूलित ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, पेन्टर, बर्दई, इलेक्ट्रिशियन, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित, और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. अतिकुशल (क) मुख्य ऑपरेटर।

5. अतिकुशल (ख) रिबाइन्डर/ऑपरेटर।

6. लिपिक वर्गीय कर्मचारी-

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

बुकिंग क्लर्क, टंकक, लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

लेखाकार, रोकड़िया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या: 294 (1)/VIII-1/24-228(अन)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा-से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

(1)

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 314/VIII/13-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में 'क्लबों के नियोजन' में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूप्यों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	12391
2	अर्द्धकुशल	13110
3	कुशल	13838
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	15035
	(क) श्रेणी-एक	
	(ख) श्रेणी-दो	
		14139

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

- 1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।
- 2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता :- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/8 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य टेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे टेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्थ निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल:-

बारमैन, सहायक बारमैन, गेम ब्याय, रूम ब्याय, मसालची, गेटमैन, सफाईकार, पेन्ट्री सहायक, लाण्ड्री मैन, टेनिस ब्याय, क्लीनर, चपरासी, कहार, हेल्पर, मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल:-

रसोइया, तन्दूरिया, कन्फैक्शनर, हलवाई, आर्डर सप्लाय करने वाला, कबाब सीक बनाने वाला, भेलपुरी वाला, खानसागा, कार चालक, लिफ्टमैन, सहायक विद्युतकार, प्रशिक्षक (तैराकी ताल), वायरमैन, समोसे वाला, रोटी वाला, चपाती वाला, पूरी वाला, दोसा वाला, भाजी वाला, आइसक्रीम वाला, पेन्ट्री मैन, चाय/काफी वाला, मार्केट मैन, फालूदा मेकर, शर्बत वाला, लस्सी वाला, वेटरर्स, माली, वायर मैन सहायक विलियर्ड कोच, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल:-

प्रधान रसोइया, प्रधान बैरा, प्रधान वेटर, बटलर, विद्युतकार, बढई, मुख्य प्रशिक्षक (तैराकी ताल), प्रधान बारमैन, हाउस कीपर, टेनिस कोच, विलियर्ड कोच, स्क्वेश कोच और अन्य कोच, बार प्रभारी, रसोई प्रभारी, मुख्य माली, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी:-

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष पूरे न हुए हो।

सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, काउंटर लिपिक, टंकक, स्वागतकर्ता, बिल मैन, सहायक स्टीवार्ड, टेलीफोन ऑपरेटर, खरीदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उसमें अधिक का अनुभव हो।

प्रधान मुनीम, प्रधान लेखाकार, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, ज्येष्ठ लेखाकार, प्रधान स्टोरकीपर, आशुलिपिक, स्टीवार्ड, प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 291 (1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- — /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 20 24

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 310/VIII/ 19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से " सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन " में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	12500
2	अर्द्धकुशल	13226
3	कुशल	13961
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	15173
	(क) श्रेणी-एक	
	(ख) श्रेणी-दो	

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी

से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल -

फायर मैन (साधारण भट्टी), स्लिप हाउस वर्कर, फिटर (प्रोसेसिंग और लॉगिंग को सम्मिलित करते हुए), ग्लेजर (डिपिंग क्रिया द्वारा) टैग, भट्टे और अन्य सामान के लोडर और अनलोडर, चपरासी, स्वीपर, स्क्रेपर, हैल्पर, मजदूर, जैली और डाई प्रेस वर्कर्स, सार्टर, स्टाम्प मार्कर, प्लेजर, सीव अटेन्डेन्ट, एजीटेटर, मिक्सर, सिलेन्डर मजदूर, पल्वीराइजर, अटेन्डेन्ट, पम्प अटेन्डेन्ट, मोल्ड मेकर, ट्रक क्लीनर, ट्रालीलोडर, अनलोडर, वाटरमैन, ब्रिक प्रेस अटेन्डेन्ट, हाथ से ड्रायर अटेन्डेन्ट, ब्लोअर अटेन्डेन्ट, स्टोन ब्रेकिंग एण्ड क्राशिंग अटेन्डेन्ट, ब्रिक टाइल्स प्रेस अटेन्डेन्ट, स्टोरवेयर पाइप प्रेस अटेन्डेन्ट, स्टोरवेयर पाइप अटेन्डेन्ट, मेट ट्रेनी, फिनिशर और कास्टर, कनवेयर कास्टर, गेट मैन, हैन्डिल मैन, पैकर कुली, वाघमैन, कॅश प्यून, स्टोर काउन्टर ब्याय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल -

प्रेस मैन, धोबी, मशीन मैन, दर्जी, सहायक सुपरवाइजर, सहायक मिस्त्री, पाटर, कार्टिंग प्रोसेज पर थो करके बर्तन बनाने वाले, कास्टर और फिनिशिंग, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार, फायरमैन (टनल फरनेंस), हेड फायरमैन (साधारण भट्टी), कलर स्प्रेयर (इसमें स्प्रे द्वारा ग्लेजिंग भी सम्मिलित है), सहायक खरादी, समरमैन, जारमैन, जिगरमैन, ज्वाइनर, आयलमैन, सगर मेकर, सहायक डाई फिटर, सहायक राजगीर, सहायक बढई, वायरमैन, कास्टर लेसर पालिशर, ग्राइन्डर, ब्लाक मेकर, सिलेन्डर अटेन्डेन्ट, हैमर मैन, सहायक पेन्टर, बिस्कुट पैकिंग करने वाला, पैकर, सहायक विद्युतकार, किलनमैन चेकर, पाइप कटर, आयलर, सहायक फोरमैन, विद्युतकार का सहायक, आर्डर सप्लायर, ब्रुक याइन्डर, वाइन्डर, कटर, स्टीचर, दफ्तरी, कारीगर, दहय्या, कलर मेकर, सीविंग मैन, हैमिंग मैन, कलेन्डर मैन, माल दिखाने वाला, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मशीन मैन, तौल करने वाला, दूध चीनी आदि मशीन में डालने वाला, मेकर, रोलर ड्राइवर, मिक्सर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल:-

पाटर (जो 4-5 लीटर से अधिक क्षमता के बर्तन बनाते हैं), डाई फिटर, टर्नर (लेथ मैन), मोल्डर, डाई मेकर, कारपेन्टर, आर्टिस्ट, डिजाइनर, मेरान, मोटर जनरेटर ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, पेपर मैन, पेन्टर चाक वाला, कुम्हार, फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, मोटर वाइन्डर, आटोमोबाइल, ड्राइवर, स्प्रेयर मैन

सुपरवाइजर, सुरक्षा गार्ड हथियार को साथ, हैड मिस्त्री, स्टोर इंचार्ज, हेड ब्यायलर मैन, डिजाइन मेकर, ब्लॉक मेकर, केमिस्ट, सिल्क प्रिंटर, अभियंता, मुख्य आपरेटर, फोरमैन, रफूगर, सर्वेयर, प्लम्बर, फ्रिजर व इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी:-

(क) लिपिक श्रेणी-दो-

मुनीम, लेखाकार, लिपिक, कैशियर, विक्रीकर्ता, तगादगीर, डिलीवरी मैन, क्लर्क, टाइमकीपर, टंकक, स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक-

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार एवं प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकडिया, आशुलिपिक, प्रधान विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, स्टीवर्ड, प्रधान स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आरो मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- 287 (1) / VIII-1 / 24-228(अम) / 2001-पार्ट-II, तददिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 321/VIII/19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में 'धर्मशालाओं के नियोजन' (निःशुल्क सेवा करने वाली अथवा ₹ 05/- तक दैनिक शुल्क यात्रियों से लेने वाली, धर्मशालाओं को छोड़कर) में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	अर्हता	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	घपरासी / रूमबॉय / हैंल्पर / माली / कहार / जमादार	-	12500
2	लेबर इंझार्ज, इलेक्ट्रिशियन, रसोईया	-	12685
3	एकाउन्टेन्ट / मुनीम / कौशियर / लिपिक / टंकक, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित	(क) स्नातक (ख) गैर स्नातक	13064 12879
4	सहायक प्रबन्धक / सुपरवाइजर / प्रधान लिपिक / कार्यालय सहायक	(क) स्नातक (ख) गैर स्नातक	13250 13156
5	प्रबन्धक / उप प्रबन्धक	(क) स्नातक (ख) गैर स्नातक	13443 13350

स्पष्टीकरण- धर्मशालाओं में मुसाफिर खाना, अतिथिगृह और बारातशाला भी सम्मिलित हैं।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रथाभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

(आर०मी०नाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 298 (1)/VIII/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुनाऊ मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)

(क)

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- / VIII-1 / 24-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (1) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 326/VIII / 19-228(श्रम) / 2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिकृत करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में 'हौजरी उद्योग के नियोजन' में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
(1)	(2)	3
		रुपये प्रतिमाह
1	अकुशल	12716
2	अर्द्धकुशल	12863
3	कुशल	12986
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	
	(क) श्रेणी-एक	13195
	(ख) श्रेणी-दो	13049

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

- 1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।
- 2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

f

(15)

6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल-

पैकर, हेल्पर, चपरासी, मेहतर, लेविलमैन, बानी वाला, माली और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल-

फिटर, प्रेस मैन, कटर, वाइंडर, वाशिंग मैन, बटन, फासनर, मेण्डर, ग्रार्मेन्ट चेकर, ब्लीचर, सहायक मशीन मैन, सहायक आपरेटर, नेक कटर, आयल मैन, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल-

मास्टर, हेड मैकेनिक, सुपरवाइजर, फिटर, मशीनमैन, आपरेटर, मिस्त्री, दर्जी, हेड मेण्डर, डिजाइनर, आटो मशीन लॉक-फिटर, सीनियर इक्जामिनर, डायर्स, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी-

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक, टंकक, टेलीफोन आपरेटर, स्टोर कीपर, रोकड़िया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

क्रमशः..... (९)

5-

(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।


प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 303 (1) / VIII-1 / 24-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II, तददिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीटासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर / संयुक्त / उप / सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।



उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 323/VIII/19-228(श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में "होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग के नियोजन" में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

श्रेणी "क"- नगर निगमों एवं नगर पालिका क्षेत्रों में अवस्थित सभी होटल, रामनगर क्षेत्र के निकट जिम कार्बेट पार्क क्षेत्र में आने वाले सभी रिसोर्ट/होटल चाहे वे नगर पालिका रामनगर क्षेत्र से बाहर ही क्यों न हो, छावनी क्षेत्रों में अवस्थित सभी ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्टों में विभिन्न वर्गों के कार्य हेतु नियोजित कर्मकारों के लिये देय मजदूरी की न्यूनतम दरें:-

क्रमांक	होटल एवं रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गों के कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
(1)	(2)	(3)			
1	ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	12816	13071	13335	-
2	ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।	13071	13335	13605	13991
3	स्टार होटल	13466	14246	15035	16071

श्रेणी "ख"- नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्टों में विभिन्न वर्गों के कार्य के लिये नियोजित कर्मकारों के लिये देय मजदूरी की न्यूनतम दरें:-

क्रमांक	होटल एवं रेस्टोरेन्ट का वर्ग	विभिन्न वर्गों के कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह रूपयों में)			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	अतिकुशल
(1)	(2)	(3)			
1	ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं।	12159	12360	12554	-
2	ढाबा, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।	12423	12624	12816	13071
3	स्टार होटल	13071	13605	14123	14773

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

- 1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।
- 2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 8 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य टेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे टेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल -

चपरासी, दरबान, वाचमैन, गेटकीपर, मशालची, स्वीपर, साफाईकार, हेल्पर, मजदूर, ट्रालीमैन, कुली, गेट-ब्याय, गैम ब्याय, बाल-ब्याय, पेज-ब्याय, लाण्ड्रीमैन, वाटर मैन, लेमन मैन, विलियर्ड- ब्याय और वे सभी कर्मकार जो अकुशल प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल-

वैटर/बैरा/सहायक स्टीवार्ड, रूम बैरा, सर्विस मैन, सहायक रसोइया, सहायक इलेक्ट्रीशियन, सहायक मैकेनिक, सहायक ऑपरेटर, बिल मैन/लिपिक/बिल कलेक्टर, क्रंता, लिफ्ट मैन, सेफ, पम्प मैन, गैस फिलर, वायरमैन, विलियर्ड्स मार्कर, आईसक्रीम वाला, फालूदा मेकर, सीरपमेकर, भेलपुरी वाला, कबाब सीक वाला, ग्राइण्डर, बार मैन, फाउण्टेन मैन, माली, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल-

रसोइया/उस्ताद महाराज, तंदूरिया/तदूरची, खानसामा/बावर्ची, प्रधान वैटर/प्रधान बैरा, सुपरवाइजर्स, हलवाई, मिठाई बनाने वाला, हेडबेकर, पेण्ट्रीमैन/हेड पेण्ट्रीमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टीवार्ड/कनिष्ठ कैप्टेन, लेखाकार, टंकक, आशुलिपिक, रोकड़िया, स्टोर कीपर, स्वागती/मुख्य स्वागती, आर्डर मास्टर, होटल गाइड, टेलर/कारपेन्टर, फिटर/टर्नर/प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपरेटर मैकेनिक, ड्राइवर, सहायक बागवानी, विशेषज्ञ, हाउस कीपर ट्रेनर (स्वीमिंग), सुरक्षा गार्ड हथियार सहित और वे सभी कर्मकार जो इसी प्रकार के कार्य में लगे हों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. अतिकुशल-

प्रधान रसोइया, कैप्टेन, बटलर, प्रधान लिपिक, ज्येष्ठ टंकक, प्रधान रोकड़िया, प्रधान स्टोर कीपर, प्रधान मुनीम, ज्येष्ठ लेखाकार, ज्येष्ठ आशुलिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 300 (1) / VIII / 24-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

(१)

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- / VIII-1 / 24-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 315/VIII / 19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में "निजी मुद्रणालयों के नियोजन" में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	12539
2	अर्द्धकुशल	13280
3	कुशल-दो	14023
4	कुशल-एक	14340
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	
	(क) श्रेणी-एक	15275
	(ख) श्रेणी-दो	14340

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित श्रमिक कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

A

कर्म. (2)

- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हिलों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी।
- यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल-

घपरासी, सफाई मजदूर, पैकर, पेपर लिफ्टर, प्लेट कटर, मशीन मैन का अकुशल सहायक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल -

सहायक संगसाज, सहायक मशीन मैन, पेपर मैन, कच्चा बाइण्डर, इंक मैन, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राइन्डिंग मैन, पेपर कटर, ब्रेनर, कापी होल्डर, पेपर फीडर, सहायक कम्पोजिटर, क्रैबटर, चेकर/इक्जामिनर, दफ्तरी, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल (दो)-

मशीन मैन, प्रेस मैन, पक्का बाइण्डर, कम्पोजिटर, डाईमेकर/कटर/प्रिन्टर, ब्लाक मेकर, प्रूफमैन, बड़ई, स्टिचर, प्लेट प्रिन्टर, प्रूफ रीडर, विद्युतकार, लोहार, संगसाज, कास्टर लाईनो/मीनो, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. कुशल (एक)-

मशीन मैन (जो प्रत्येक स्वचालित सिलेण्डर चला सकता हो और 2, 3 और 4 प्रकार के रंग के काम कर सकता हो), कम्पोजिटर (जिसको हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में टंकण का पर्याप्त ज्ञान हो और जो बैलेंस शीट, कैंश मेमो, निमंत्रण पत्र इत्यादि का फुटकर काम कर सकता हो), ब्लाक मेकर (जो चार रंग के ब्लाक बना सकता हो), डिजाइनर, आर्टिस्ट, कैमरा मैन/आपरेटर/स्टिचर, आपरेटर, लाइनों/मीनों, प्रूफ रीडर (जिसको हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू का पर्याप्त ज्ञान हो और जो शत प्रतिशत प्रूफ कार्य कर सके), कास्टर (जो लाइनों/मीनों मोल्ड को ठीक कर सके और छोटी-मोटी मरम्मत कर सके)।

5. लिपिक वर्गीय कर्मचारी -

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

मुनीम, रोकड़िया, लेखाकार, टंकक/लिपिक, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, सेल्स मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

प्रधान रोकड़िया, प्रधान लेखाकार, प्रधान लिपिक, आशुलिपिक, ज्येष्ठ सेल्समैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर०मी०ना० सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 292 (1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 324/VIII /19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में-

(क) मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा संचालित किसी मदरसा जहां विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जा रही है या नाम मात्र की फीस ली जा रही है, (ख) किसी धार्मिक या दातव्य संस्था द्वारा संचालित किसी प्राइवेट विद्यालय जहां विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जा रही है या नाम मात्र की फीस ली जा रही है, (ग) उत्तराखण्ड बाल कल्याण परिषद् द्वारा संचालित किसी बाल बाड़ी, और (घ) मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट विद्यालय जिसे सरकार से सहायता मिल रही है, से भिन्न, उत्तराखण्ड में प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित हैं, के नियोजन में नियोजित अशैक्षणिक वयस्क कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण और निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (रुपये प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)
1	चपरासी, रिक्शा चालक, माली, क्लीनर, बेलदार, मसालची, आया, बैरा, केयर टेकर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	12391
2	दफ्तरी, राजगीर, रसोइया या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	12763
3	बस/ट्रक ड्राइवर, बर्दई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लैब असिस्टेंट, टेलर, नर्स, कम्पाउन्डर, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	13110
4	लिपिक/टंकक- (क) इण्टरमीडियेट तक शिक्षा प्राप्त (ख) स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त	13396 13675
5	लाइब्रेरियन/कैंशियर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	13960
6	लेखाकार- (क) कनिष्ठ (ख) ज्येष्ठ जो कम से कम बी०कॉम० हो और साथ ही पांच वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव हो।	14254 14819

नोट— किसी संस्था पर इस अधिसूचना के उपबन्धों के लागू होने में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम और सबधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

- 1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।
- 2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता— अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य छे घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात्, नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः..... (5)




10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 301 (1)/VIII/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विमूक्ति रंजन)
अपर सचिव।

(6)

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 316/VIII/19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से (1) उत्तराखण्ड में लोक मोटर परिवहन (2) उत्तराखण्ड में यात्रिक परिवहन कर्मशाला (3) उत्तराखण्ड में आटोमोबाइल रिपेयर्स के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	12539
2	अर्द्धकुशल	13280
3	कुशल	14023
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	15275
	(क) श्रेणी-एक	
	(ख) श्रेणी-दो	14340


टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता :- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।



- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल-

अर्दली, भिस्ती, मोची, चेम्बर सेवक, कोषागार चपरासी, गाड़ी धोने वाला, लोडर्स, अनलोडर्स, स्टोर मजदूर, हज्जाम, कुली, ऑफिस ब्वाय, सफाई मजदूर, पेट्रोल पम्प अटेंडेन्ट और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल-

ग्राइन्डर, बोरिंग मैन, सहायक पेन्टर, रेडियेटर रिपेयरर, वेल्डर, लोहार, सहायक फीटर, सहायक मैकेनिक, कण्डक्टर, दफ्तरी, जमादार, बण्डल उठाने वाला, दफादार, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल-

सर्विस मैन, वर्कशाप सुपरवाइजर, मैकेनिक, ड्राईवर, टर्नर, फ्यूल इंजक्शन, पंच मैन, पेन्टर, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, लेथ मैन, एयर कण्डीशनर मैकेनिक, गेट सार्जेन्ट, टीनकार, कम्पाउण्डर, पर्यवेक्षक, सहायक स्टोर कीपर, बर्द्धई, बल्कनाइजर, सोफासाज, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी:-

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

सहायक लेखाकार, लेखाकार, क्लर्क कम टाईपिस्ट, मेला मैन, एकाउंट क्लर्क, आउट ऐजेन्सी क्लर्क, कैंसियर, असिस्टेंट गोडाउन कीपर, अधीक्षक प्राप्ति और प्रेषण, स्टोर कीपर, प्रगति जांचकर्ता, केन्द्र प्रभारी (स्टेशन इंचार्ज/मास्टर), यातायात निरीक्षक, समयपाल और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।


(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

यातायात अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक, प्रबंधक, वर्क्स इंचार्ज, ओवरसियर, फोरमैन, हेड क्लर्क, आशुलिपिक, ज्येष्ठ लेखाकार, नवशा नबीस, गोडाउन कीपर, हेड रोकड़िया, स्टोर अधीक्षक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 293 (1)/VIII-I/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2019

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 312/VIII/ 19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से परिशिष्ट-1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	12500
2	अर्द्धकुशल	12933
3	कुशल	13365
4	अतिकुशल	14093
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	14093
	(क) श्रेणी-एक	
	(ख) श्रेणी-दो	
		13551

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी

से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी गजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मधारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट-1

क्र०सं०	नियोजनों के नाम
(1)	(2)
1	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन।
2	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग में नियोजन।
3	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन।
4	वासित पेयों (एस्टेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन।
5	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन।
6	परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योगों में नियोजन।
7	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन।
8	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन।
9	सिले सिलाए कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन।
10	बौध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन।
11	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन।
12	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन।
13	धातु उद्योग में नियोजन।
14	टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन।
15	ऐसे अभियंत्रण उद्योग में नियोजन, जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
16	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं किया गया है।

- 2 -
परिशिष्ट-2

1. अकुशल:-

चपरासी, मैकर, स्वीपर, मजदूर, अर्दली, लोडर, अनलोडर, हेल्पर, वाटरमैन, पल्लेदार, चारावाला, दाई, आया, वार्डब्याय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल:-

मिक्सरमैन, मोल्डर, सहायक मशीन आपरेटर, कटर, जुड़ाई वाला, तौलकार, सहायक कारीगर (मिटाई), सीलर, लेबिलर, बाटलर, जूस फिलर, फायर मैन, सहायक मशीन मैन, सहायक लोहार, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक फिटर, सहायक पर्यवेक्षक, सहायक निरीक्षक, असिस्टेन्ट डोर असेम्बलर एण्ड फिनिशर्स, डिलीवरी मैन, पम्प अटेंडेण्ट, फार्ममैन, सुरक्षा गार्ड दिना हथियार, पेस्टर मिल्कमैन, मिल्क डिलीवरी मैन, प्रेसमैन, बटन लगाने वाला, काज बनाने वाला, तुरपाई वाला, बेलदार, मेट, ट्रेसर, माली, इन्जन ड्राइवर, सहायक आपरेटर, जुगाडिया, सहायक मैकेनिक, मोल्डर, चिरैया, सहायक कम्पाउण्डर, पट्टी बांधने वाला, प्लास्टर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल:-

आपरेटर, सुपरवाइजर, ड्राइवर, मिस्त्री, कारीगर, मशीनमैन, फिलर, मिक्सर, चैक फिटर, प्रेस आपरेटर, टर्नर, ब्यायलर अटेंडेन्ट, सहायक क्वालिटी इन्सपेक्टर, इलेक्ट्रीशियन, सहायक फोरमैन, कटर डिजाइनर, दर्जी, जनरेटर आपरेटर, लोहार, बढई, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित, इन्सपेक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, लैब टैक्नीशियन, एक्सरे टैक्नीशियन, विनियर मैचर, वेल्डर, डोर असेम्बलर एण्ड फिनिशर्स और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. अतिकुशल:- सीनियर/हेड सुपरवाइजर, हेड इंचार्ज, कैमिस्ट, फोरमैन, क्वालिटी इन्सपेक्टर, डेरी इंचार्ज, हेड डिजाइनर, फार्मसिस्ट और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

5. लिपिक वर्गीय कर्मचारी:-

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते पाँच वर्ष न हुए हो।

क्लर्क, टाईपिस्ट, मुनीम, तगादगीर, विक्रयकर्ता, स्टोर कीपर, लेखाकार, कैशियर, आशुलिपिक, लेखालिपिक, क्रयकर्ता, सहायक टेलीफोन आपरेटर, बिल कटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

क्रमशः.....(4)

etc


(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

हेड एकाउण्टेण्ट, हेड मुनीम, हेड क्लर्क, हेड कैशियर, विक्री प्रतिनिधि, प्रधान विक्रयकर्ता, टेलीफोन ऑपरेटर, प्रधान क्रयकर्ता और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर०मी०नाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या-²⁸⁹(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तद्दिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।



उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या: 319 / VIII-1 / 24-228 श्रम / 2001 / पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 22 मार्च, 2024

कार्यालय-झाप

अवगत कराना है कि श्रम विभाग के अन्तर्गत विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल, 2024 से पुनर्निर्धारित न्यूनतम मजदूरी विषयक अधिसूचना सं०- 288 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001 पार्ट II एवं अधिसूचना सं०- 289 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II निर्गत किया गया था, जिसमें "दिनांक 15 मार्च, 2024" के स्थान पर टंकण त्रुटिवश "दिनांक 15 मार्च, 2019" अंकित हो गया है जिसे संशोधित करते हुए "दिनांक 15 मार्च, 2024" किया जाता है। अतः उक्त अधिसूचना सं०- 288, दिनांक 15 मार्च, 2019 एवं अधिसूचना सं०- 289, दिनांक 15 मार्च 2019 के स्थान पर उसे "अधिसूचना सं०- 288, दिनांक 15 मार्च, 2024" एवं "अधिसूचना सं०- 289, दिनांक 15 मार्च, 2024" पढ़ा व समझा जाय।

2- यह भी अवगत कराना है कि "ईट भट्टा उद्योग", "तम्बाकू निर्माण के नियोजन", "कालीन बुनाई के नियोजन", एवं "हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग के नियोजन" में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल, 2024 से पुनर्निर्धारित न्यूनतम मजदूरी विषयक क्रमशः निर्गत अधिसूचना सं०- 306, 308, 309, 311 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक 15 मार्च, 2024, उक्त सभी अधिसूचनाओं के प्रथम प्रस्तर की चौथी पंक्ति में क्रमशः अधिक्रमित की गयी अधिसूचना सं०-329, 331, 332 एवं 334 की तिथि टंकण त्रुटिवश "दिनांक 08 मार्च 2019" के स्थान पर "दिनांक 08 मार्च, 2013" अंकित हो गयी है जिसे संशोधित करते हुए "दिनांक 08 मार्च, 2019" किया जाता है। अतः अधिसूचना सं०- 306, 308, 309, 311 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक 15 मार्च, 2024 में उक्त अधिक्रमित अधिसूचना की तिथि "दिनांक 08 मार्च, 2013" के स्थान पर "दिनांक 08 मार्च, 2019" पढ़ा व समझा जाय।

3- उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना सं०-288 एवं 289 तथा अधिसूचना सं०- 306, 308, 309 एवं 311, दिनांक 15 मार्च, 2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त अधिसूचना के शेष प्राविधान/शर्तें यथावत् रहेंगे।

(शिव विभूति रंजन)

उप सचिव।

संख्या- 319 (1) / VIII-1 / 24-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गडवाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।

क्रमशः.....2



6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग

संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2019

अधिसूचना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) का खण्ड (i) के सपटित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 311/VIII/19-228(श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से परिशिष्ट-1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	12391
2	अर्द्धकुशल	13110
3	कुशल	13838
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	
	(क) श्रेणी-एक	15035
	(ख) श्रेणी-दो	14139

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016-100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/8 से कम न होगी।

5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी रिश्ते में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7- जहां किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होंगी अर्थात् नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट-1

क्र०सं०	नियोजनों का नाम
(1)	(2)
1	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन
2	धिकन के कार्य में नियोजन।
3	दियासलाई उद्योग में नियोजन।
4	आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
5	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
6	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
7	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
8	लाण्ट्री या घुलाई अधिष्ठानों में नियोजन।
9	जिल्दसाजी में नियोजन
10	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
11	पाटरी सिरेमिक्स या रिफ़ैक्ट्रीज में नियोजन।

परिशिष्ट-2

1. अकुशल-

फायर मैन (साधारण भट्टी), स्लिप हाउस वर्कर, फिटर (प्रोसेसिंग और लमिंग को सम्मिलित करते हुए), ग्लेजर (ड्रिपिंग क्रिया द्वारा) टैग, भट्टे और अन्य सामान के लोडर और अनलोडर, चपरासी, स्वीपर, स्क्रेपर, हैल्पर, मजदूर, जैली और डाई प्रेस वर्कर्स, सार्टर, स्टाम्प मार्कर, प्लेजर, सीव अटेन्डेन्ट, एजीटेटर, मिक्सर, सिलेन्डर मजदूर, पल्वीराइजर, अटेन्डेन्ट, पम्प अटेन्डेन्ट, मोल्ड मेकर, ट्रक क्लीनर, ट्रालीलोडर, अनलोडर, वाटरमैन, ब्रिक प्रेस अटेन्डेन्ट, हाथ से ड्रायर अटेन्डेन्ट, ब्लोथर अटेन्डेन्ट, स्नो ब्रेकिंग एण्ड काशिंग अटेन्डेन्ट, ब्रिक टाइल्स प्रेस अटेन्डेन्ट, स्टोरवेयर पाइप

प्रेस अटेन्डेन्ट, स्टोरवेयर पाइप अटेन्डेन्ट, भेट ट्रेनी, फिनिशर और कास्टर, कनवेयर कास्टर, गेट मैन, हैंडिल मैन, पैकर कुली, वाचमैन, कैंश प्यून, स्टोर काउन्टर ब्याय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल-

प्रेस मैन, घोबी, मशीन मैन, दर्जी, सहायक सुपरवाइजर, सहायक मिस्त्री, पाटर, कार्टिंग प्रोसेज पर थो करके बर्तन बनाने वाले, कास्टर और फिनिशिंग, फायरमैन (टनल फरनेस), हैड फायरमैन (साधारण भट्टी), कलर स्प्रेयर (इसमें स्प्रे द्वारा ग्लेजिंग भी सम्मिलित है), सहायक खरादी, समरमैन, जारमैन, जिगरमैन, ज्वाइनर, आयलमैन, सगर मेकर, सहायक डाई फिटर, सहायक राजगीर, सहायक बड़ई, वायरमैन, कास्टर लेसर पालिशर, ग्राइन्डर, ब्लॉक मेकर, सिलेन्डर अटेन्डेन्ट, हैमर मैन, सहायक पेन्टर, बिस्कुट पैकिंग करने वाला, पैकर, सहायक विद्युतकार, किलनमैन चेकर, पाइप कटर, आयलर, सहायक फोरमैन, विद्युतकार का सहायक, आर्डर सप्लायर, बुक वाइन्डर, वाइन्डर, कटर, स्टीचर, दफ्तरी, कारीगर, दहय्या, कलर मेकर, सीविंग मैन, हैमिंग मैन, कलेन्डर मैन, माल दिखाने वाला, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मशीन मैन, तौल करने वाला, दूध चीनी आदि मशीन में डालने वाला, मेकर, रोलर ड्राईवर, मिक्सर, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इस प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार जाय।

कुशल-

पाटर (जो 4-6 लीटर से अधिक क्षमता के बर्तन बनाते हैं), डाई फिटर, टर्नर (लेथ मैन), मोल्डर, डाई मेकर, कारपेन्टर, आर्टिस्ट, डिजाइनर, मेसन, मोटर जनरेटर ड्राईवर, इलेक्ट्रीशियन, पेपर मैन, पेन्टर चाक वाला, कुम्हार, फिटर, ब्लॉक स्मिथ, वेल्डर, मोटर वाइन्डर, आटोमोबाइल, ड्राइवर, स्प्रेयर मैन सुपरवाइजर, हैड मिस्त्री, स्टोर इंचार्ज, हेड ब्यायलर मैन, डिजाइन मेकर, ब्लॉक मेकर, केमिस्ट, सिल्क प्रिंटर, अभियंता, मुख्य आपरेटर, फोरमैन, रफूगर, सर्वेयर, प्लम्बर फ्रिजर, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित व इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी:-

(क) लिपिक श्रेणी-दो-

मुनीम, लेखाकार, लिपिक, कौशियर, विक्रीकर्ता, तगादगीर, डिलीवरी मैन, क्लर्क, टाइमकीपर, टंकक, स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक-

4-

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार एवं प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकडिया, आशुलिपिक, प्रधान विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, स्टीवर्ड, प्रधान स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।


(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- 288 (1) / VIII-1 / 24-228(अम) / 2001-पार्ट-11, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।



उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या: 319 / VIII-1 / 24-228 श्रम / 2001 / पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 22 मार्च, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

अवगत कराना है कि श्रम विभाग के अन्तर्गत विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल, 2024 से पुनर्निर्धारित न्यूनतम मजदूरी विषयक अधिसूचना सं०- 288 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001 पार्ट II एवं अधिसूचना सं०- 289 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II निर्गत किया गया था, जिसमें "दिनांक 15 मार्च, 2024" के स्थान पर टंकण त्रुटिवश "दिनांक 15 मार्च, 2019" अंकित हो गया है जिसे संशोधित करते हुए "दिनांक 15 मार्च, 2024" किया जाता है। अतः उक्त अधिसूचना सं०- 288, दिनांक 15 मार्च, 2019 एवं अधिसूचना सं०- 289, दिनांक 15 मार्च 2019 के स्थान पर उसे "अधिसूचना सं०- 288, दिनांक 15 मार्च, 2024" एवं "अधिसूचना सं०- 289, दिनांक 15 मार्च, 2024" पढ़ा व समझा जाय।

2- यह भी अवगत कराना है कि "ईट भट्टा उद्योग", "तम्बाकू निर्माण के नियोजन", "कालीन बुनाई के नियोजन", एवं "हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग के नियोजन" में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल, 2024 से पुनर्निर्धारित न्यूनतम मजदूरी विषयक क्रमशः निर्गत अधिसूचना सं०- 306, 308, 309, 311 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक 15 मार्च, 2024, उक्त सभी अधिसूचनाओं के प्रथम प्रस्तर की चौथी पंक्ति में क्रमशः अधिक्रमित की गयी अधिसूचना सं०-329, 331, 332 एवं 334 की तिथि टंकण त्रुटिवश "दिनांक 08 मार्च 2019" के स्थान पर "दिनांक 08 मार्च, 2013" अंकित हो गयी है जिसे संशोधित करते हुए "दिनांक 08 मार्च, 2019" किया जाता है। अतः अधिसूचना सं०- 306, 308, 309, 311 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक 15 मार्च, 2024 में उक्त अधिक्रमित अधिसूचना की तिथि "दिनांक 08 मार्च, 2013" के स्थान पर "दिनांक 08 मार्च, 2019" पढ़ा व समझा जाय।

3- उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना सं०-288 एवं 289 तथा अधिसूचना सं०- 306, 308, 309 एवं 311, दिनांक 15 मार्च, 2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त अधिसूचना के शेष प्राविधान/शर्तें यथावत् रहेंगे।

(शिव विभूति रंजन)

उप सचिव।

संख्या: 319 (1) / VIII-1 / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।

क्रमशः.....2

↓

6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- - /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा- 4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 318/VIII/19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में 'सिलाई उद्योग के नियोजन' में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देहरादून, नैनीताल शहरों में स्थित उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)	शेष शहरों के लिये देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें। (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अकुशल	12539	12391
2	अर्द्धकुशल	13280	13110
3	कुशल	14023	13838

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और घालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।



दिनांक: 15/03/2024 (2)

- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल-

सफाईकार, पैकर, चपरासी, लोहा गरम करने वाला, हैल्पर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल-

बटन लगाने वाला, काज तैयार करने वाला, दर्जी का हेल्पर, पायजामा, साधारण कुर्ता, अन्डरवियर सिलने का कार्य करने वाले व्यक्ति, मरम्मत का कार्य करने वाले, उधेड़ने का कार्य करने वाले व्यक्ति, प्रेस मैन्, मशीन की सफाई करने वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

क्रमशः.....(5)



3. कुशल-

कटर, नपाई का कार्य करने वाले व्यक्ति, पायजामा, कौट, कमीज, अचकन, शेरवानी, ब्लाउज, लेडीज गाउन, मैक्सी आदि सिलने का कार्य करने वाले व्यक्ति और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर०भीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 295 (1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा० श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- / VIII-1 / 24-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 325/VIII/19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिकमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में "चाय बागान के नियोजन" में नियोजित अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	12391

- 1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर निम्नवत् होगी :-
- 2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3- मजदूरी की दैनिक दर उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 8 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

(आर०मी०ना० सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- 307 (1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

(६)

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1948) की धारा-4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 313/VIII./19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में "कपड़ा छपाई के नियोजन" में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	12391
2	अर्द्धकुशल	13110
3	कुशल	13838
4	अतिकुशल	15035
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	15035
	(क) श्रेणी-एक	
	(ख) श्रेणी-दो	14139

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

- 1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।
- 2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

(ह)

- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-13 की उपधारा-(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल -

रंगने वाला, पैकिंग करने वाला, छपाई करने वाला, छपरासी, घानी वाला, वियोटनी वाला, प्रेस वाला, हेल्पर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल -

ढहाइया, रंग बनाने वाला, सिलाई करने वाला, गोट बनाने वाला, माल दिखाने वाला, बडई, फीटर, झाईवर, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल:-

डिजाइन बनाने वाला, ब्लाक बनाने वाला, स्क्रीन बनाने वाला, ठिकाइया (रेखा डालने वाला), ब्यायलर मैन, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. अतिकुशल:-

सुपरवाइजर, फोरमैन, केमिस्ट, सिल्क प्रिन्टर, छपाई वाला और इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।



5. लिपिक वर्गीय कर्मचारी:-

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

मुनीम, लिपिक, तकादगीर, टंकक, रोकड़िया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।


प्रधान मुनीम, प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकड़िया और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 290 (1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तद्दिनांक

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
 6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
 7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
 8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
 9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
 11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियाँ शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
 13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(शिव विमूक्ति रंजन)
उप सचिव।

